"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2011—वैशाख 6, शक 1933

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्रमांक 02/भण्डार/2010-2011/917.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग के संबंध में आयोग से प्राप्त निदेश संख्या-576/3/ई.व्ही.एम./2011/एस.डी.आर. (लो.स.), दिनांक 18 अप्रैल, 2011 सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुनील कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 18 अप्रैल, 2011

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2011/एस.डी.आर. (लो.स.).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

यत: आयोग ने आन्ध्र प्रदेश में 38-कडप्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में 10-बस्तर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा आन्ध्र प्रदेश में 38-कडप्पा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में 10-बस्तर (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 11 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित किए गए लोक सभा के चालू उप निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 18th April, 2011

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2011/SDR (HP).—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 38-Kadapa Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh and 10-Bastar (ST) Parliamentry Constituency in Chhattisgarh, and it is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Parliamentary Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electroic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 38-Kadapa Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh and 10-Bastar (ST) Parliamentary Constituency in Chhattisgarh, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the House of the People from the said States notified on 11th April, 2011, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2011